3343/PS/cdh
2/9/2020

JS-II/
DS, Sports

SO-II SDS
3/9/20

upload to New at SO
3/9

राजस्थान सरकार
आयोजना (मूल्यांकन) विभाग

क्रमांक–प.21(182)मूसं/तक/सम/विविध/2016–17/पार्ट–2/2392 दिनांक–25/08/2020

परिपत्र

विषय–विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय विकासीय योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन करवाये जाने बाबत।

किसी भी विकासीय योजना/कार्यक्रम की सफलता के लिए मूल्यांकन एक अपरिहार्य अंग है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदर्भित अवधि में चिन्हित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभाव एवं प्रगति की जानकारी मिलती है तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन के जरिए विभिन्न योजनाओं हेतु लक्षित एवं अपेक्षित परिणामों की तुलना के आधार पर सफलता एवं असफलता के क्षेत्रों की पहचान कर अनुभूत समस्याओं के विश्लेषण पश्चात सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं।

राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनके निर्धारित उद्देश्यों के विपरीत प्राप्त उपलब्धियाँ की समीक्षा तथा सफलता का आंकलन हेतु समय–समय पर मूल्यांकन किया जाना अति–आवश्यक है। राज्य में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण विकासीय योजनाओं/कार्यक्रमों के विषयों पर मूल्यांकन का कार्य निदेशालय, मूल्यांकन संगठन विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सतत् रूप से सम्पादित करने के लिए मूल्यांकन संगठन को सम्बन्धित विभागों द्वारा मूल्यांकन से सम्बन्धित सूचनाएं भी समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाना अति–आवश्यक है।

.......2

अतः समस्त विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने—अपने विभागों की कल्याणकारी एवं महत्वपूर्ण विकासीय योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार मूल्यांकन करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों को मूल्यांकन संगठन विभाग द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान वांछित सूचनाओं में आवश्यक सहयोग एवं क्षेत्र कार्य हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने बाबत निर्देशित करावें ताकि मूल्यांकन प्रतिवेदन राज्य सरकार को यथासमय प्रस्तुत किये जाकर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

सद्भावी

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक, निगम/बोर्ड।
6. संयुक्त सचिव (परीवीक्षण), आयोजना विभाग।

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, मूल्यांकन संगठन, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना